304 (9) कट्टरपंथी या सांप्रदायिक संगठनों द्वारा किए गए 'बंद' के आहवाहन के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में साप्ताहिक छुट्टी पहले या बाद में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार की जानकारी में कुछ मामले आए हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपना सप्ताहिक अवकाश एक दिन पहले किया गया है और ऐसा निर्णय किसी कार्य दिवस को बंद का आहवान करने वाले कट्टरपंथी संगठन के प्रभुत्व वाले कर्मचारी संगठन के अनुरोध पर लिया गया है। बंद के अनुरूप कारखाने का बंद होना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर्मचारी संगठनों को साप्ताहिक छुट्टी पहले ही लेने के लिए कहा गया। साप्ताहिक अवकाश पहले ही किए जाने संबंधी निर्णय से समय पर कर्मचारियों को सूचित नही किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रबंधक–वर्ग के निर्णय से अनभिज्ञ कर्मचारी ड्यूटी पर आएं

2. अतः यह वांछनीय है कि ऐसे मामलों पर प्रबंधक–वर्ग द्वारा बहुत ही सावधानी बरती जाए, ताकि यह भावना उत्पन्न न हो कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधक–वर्ग कट्टरपंथियों या सांप्रदायिक ताकतों के दबाव में आ रहे हैं।

3. कृषि मंत्रालय आदि अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस संबंध में उचित सलाह देने के लिए इसे देखने की कृपा करें।

(लोक उद्यम ब्यूरो का दिनांक 18.8.1987 का का.ज्ञा. सं. 16/53/87–जी एम)